प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
बदायूं।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 1929/पन्द्रह, बदायूं, दिनांकः 29 जून, 2020

विषयः– जनपद न्यायालय, बदायूँ (मुख्यालय) सेनिटाइजेशन हेतु दिनॉक 30.06.2020 की सायं तक (अर्थात् 24 घंटे) बंद किये जाने के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह अवगत कराना है कि जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ के पत्र संख्या 1491/न्याय सहायकः दिनांकित 29.06.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया हैं कि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एड0 निवासी पटियाली सराय, बदायूँ कोविड –19 से संकमित पाये गये । श्री शर्मा जिला न्यायालय में विधिक कार्य करते हैं । संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन /निसंकमित करने हेतु 24 घण्टों के लिए अर्थात दिनॉक 30.06.2020 की सायं तक तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना आवश्यक हैं । न्यायालय कक्षों/परिसरों को पूर्ण सैनिटाइज /निसंकमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Dated 03.06.2020 के पैरा 15 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, बदायूँ न्यायालयों/कार्यालयों एवं पूर्ण परिसर में सेनिटाइजेशन हेतु न्यायिक कार्य दिनॉक 30.06.2020 की सायं तक स्थगित कर दिया गया हैं । आदेश की छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

तद्नुसार आख्या माननीय उच्च न्यायालय को सेवाअप्रित हैं ।

ससम्मान ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

R.K. Singh

(राज कुमार सिंह)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
बदायूं

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूं

आदेश संख्या 182 /2020

जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ के पत्र संख्या 1491/न्याय सहायकः दिनांकित 29.06.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया हैं कि श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, एड0 निवासी पटियाली सराय, बदायूँ कोविड –19 से संक्रमित पाये गये । श्री शर्मा जिला न्यायालय में विधिक कार्य करते हैं । संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन /निसंक्रमित करने हेतु 24 घण्टों के लिए अर्थात दिनॉक 30.06.2020 की सायं तक तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना आवश्यक हैं । न्यायालय कक्षों/परिसरों को पूर्ण सैनिटाइज /निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Dated 03.06.2020 के पैरा 15 में निर्देशित किया गया हैं कि –

"Where the District Administration CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying court campus should be closed for a particular period and or the District Judge is of the opinion that the District Court Outlying court should be closed for particular period, then the District Court/ Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court".

तद्नुसार जिला प्रशासन की संस्तुति के अनुसार जनपद न्यायालय, बदायूँ (मुख्यालय परिसर) को तत्काल प्रभाव से सील कर चिकित्सीय स्तर का सेनिटाईजेशन कराया जाना आवश्यक हैं ।

अतः तत्काल प्रभाव से जनपद न्यायालय, बदायूँ (मुख्यालय) का न्यायिक कार्य दिनॉक 30.06.2020 की सायं तक स्थगित रहेगा ।

इसी कम में केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता हैं कि वह समस्त न्यायालय /कार्यालय एवं समस्त न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त समस्त कर्मचारीगण को भी निर्देशित किया जाता हैं कि वह अपने–अपने न्यायालय /कार्यालय में सैनिटाइजेशन में सहयोग करें ।

न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सेनेटाइज हो जाने के उपरान्त एवं इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, नजारत की सेनेटाइज पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आख्या के बाद जनपद न्यायालय खोला जायेगा । आदेश की प्रति जनपद न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर अनुभाग में भी प्रेषित की जावें ।

तद्नुसार सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जावें ।

R.K. Singh

दिनांकः 29.06.2020

(राज कुमार सिंह)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जनपद न्यायालय, बदायूँ
2– प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, बदायूँ
3– जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ
4– नगर मजिस्ट्रेट, बदायूँ
5– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूँ
6– जिला बार एसोसिएशन, बदायूँ
7– जिला सिविल बार एसोसिएशन, बदायूँ
8– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बदायूँ

R.K. Singh

दिनांकः 29.06.2020

(राज कुमार सिंह)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ